



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

RMA No-15/2023-24

मो० निर्मला देवी

बनाम्

रुद्दी नदाफ वगै०

—: आदेश —:

दिनांक 28/2/23

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्ता मो० निर्मला देवी पति—सत्यनारायण राम सा०—बलबड्डा अंचल—मेहरमा जिला—गोड्डा द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के रा० वि० वाद संख्या—27/2016-17 के आदेश दिनांक—15.09.2023 के विरुद्ध अपील आवेदन दिया गया है।

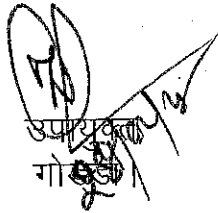
अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा—बलबड्डा नं०—355 जमाबंदी संख्या—58, दाग संख्या—72 रकवा—00—18—17 धुर जमीन अपीलकर्ता की जमीन है, जो उत्तरवादी प्रथम पक्ष के मकान के नजदीक है तथा मौजा—बलबड्डा नं०—355, जमाबंदी संख्या—02, दाग संख्या—171 रकवा—00—18—धुर जमीन उत्तरवादी प्रथम पक्ष की जमीन है, जो अपीलकर्ता के मकान के समीप स्थित है। दोनों पक्षों के जमीन का क्षेत्रफल लगभग बराबर है और सामान मूल्य का है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के वंशज और अपीलकर्ता द्वारा व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से वर्ष 1998 में मौखिक रूप से भूमि का बदलानामा किया गया था। उक्त जमीन का बदलानामा के पश्चात् दोनों ही पक्षों का उसपर शांतिपूर्ण दखल है एवं दोनों पक्षों द्वारा नोटरी के माध्यम से समझौता किया गया था। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्ता एवं उत्तरवादी प्रथम पक्ष द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के समक्ष उक्त जमीन का बदलानामा हेतु संयुक्त रूप से आवेदन दिया गया था। लेकिन प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा वाद के बीच में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के समक्ष आपत्ति आवेदन दिया था, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा द्वारा दिनांक—15.09.2023 को खारिज कर दिया गया। उनका आगे कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा द्वारा अंचल अधिकारी अधिकारी, मेहरमा के प्रतिवेदन तथा नोटरी के माध्यम से किया गया बदलानामा पर विचार नहीं किया गया। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्ता ने मौजा—बलबड्डा के दाग नं०—171 पर लगभग 20 वर्ष पूर्व आम का पेड़ लगाया है एवं उत्तरवादी प्रथम पक्ष उक्त बगीचे को लालच

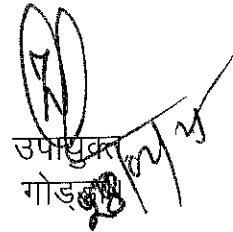
हो गया है तथा उनके द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा के रा0 वि0 वाद संख्या-27/16-17 के दिनांक-15.09.23 को पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। इसलिए अपीलकर्ता का अपील आवेदन अंगीकृत करने योग्य नहीं है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी उपर्युक्त जमीन का बदलानामा करने हेतु तैयार नहीं हैं तथा उनके द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष बदलानामा आवेदन खारिज करने का अनुरोध किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष के बीच जमीन बदलानामा करने की सहमति नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता का अपील आवेदन अंगीकृत करने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतएव अपीलकर्ता का अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपाध्याय
गोडबोली


उपाध्याय
गोडबोली